5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

समक्ष : न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्रं. ....16 / निगरानी निग – 146 – I – 16

ललिता पुत्री रामकिसन जाति सहर निवासी
ग्राम पनवाडा तह.कराहल, ज़िला श्योपुर म.प्र.
...........आवेदकगण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
..........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 08.12.15 पारित न्यायालय अपर कलेक्टर श्योपुर म.प्र. के प्र.क. 04 / 2010—11 / स्वमेव निगरानी

माननीय न्यायालय,

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:—

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य :— यह कि ग्राम पनवाडा की भूमि सर्वे नं. 22 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा पर आवेदिका ललिताह पुत्री रामकिशन सहर आदिवासी को पट्टा प्रदान किया गया था। आवेदिका उक्त भूमि पर निरन्तर 10—15 वर्षो से काबिज होकर बिना रोक टोक खेती करती चली आ रही है। आवेदिका द्वारा श्रम व धन खर्च करके उक्त भूमि को कृषि य ेग्य बनाया है। और उसके कब्जे के आधार पर ही विधिवत न्यायालय तहसीलदार कराहल द्वारा अपने न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 28 / 2004—05 / अ—19 से आदेश दिनांक 25.06.05 को पट्टे प्रदान किये गये थे।

यह कि दिनांक 22.06.2005 को ग्राम के रामसिंह पुत्र रघुनाथ एवं धनराज पुत्र अनारसिंह द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उसी आवेदन पत्र की जॉच करवाई किन्तु जॉचकर्ता द्वारा मोके पर जाकर जॉच न करते हुए घर बैठे जॉच प्रतिवेदन झूठे तथ्यों के आधार पर तैयार करके प्रस्तुत कर दिया गया था। और उसी को आधार मानकर प्रकरण स्वमेव निगरानी में ले लिया गया था, जबकि आवेदिका ग्राम की निवासी है तथा उसके पास ग्राम का मतदाता परिचय पत्र भी है। किन्तु उक्त तथ्यों पर गौर नहीं फरमाया गया है। दिनांक 05.10.10 को प्रकरण विचरण में ले लिया गया तथा दिनांक 01.05.13 से 15.01.14 तक उक्त फाईल रीडर द्वारा चलाई गई, उस समय प्रकरण सूचना पत्र जारी हो और बहस हेतु नियत था। दिनांक 19.02.14 को प्रकरण शेष अनावेदकगण की उपस्थिति हेतु नियत हुआ। उसके पश्चात् दिनांक

क्रमंश:..........2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 146–एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–2–19	आवेदक के अधिवक्ता श्री वीर सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर में पारित आदेश दिनांक 08.12.15 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर कलेक्टर जिला मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 **अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना**	